75-

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1294–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.03.2014 पारित अनुविभगीय अधिकारी, सागर जिला सागर प्रकरण कम्रांक 12/अ–6(अ) 2012–13

1– प्रदीप पुत्र स्व. श्री सरजूप्रसाद
2– प्रमोद पुत्र स्व. श्री सरजूप्रसाद
निवासीगण ग्राम बम्होरी रेगुव तहसील
व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शारदा बाई पत्नी स्व. विनायकराव
निवासी माता मड़िया विजय टाकीज रोड़
मोतीनगर वार्ड, सागर तहसील व जिला सागर
2– शिवदयाल शर्मा पुत्र स्व. श्री सरजू प्रसाद
3– रमेश शर्मा पुत्र स्व. श्री सरजूप्रसाद
4– मनमोहन शर्मा पुत्र स्व. श्री सरजूप्रसाद
तीनों निवासी ग्राम बम्होरी रेगुंवा तह. व जिला सागर

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता अनावेदक कं. 1
श्री आर.डी.शर्मा अधिवकता अनावेदक कं. 2 ता 4

आदेश

(आज दिनांक 6 –01–2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सागर जिला–सागर के प्रकरण कमांक 12/अ–6(अ) वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06.03.14 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सागर द्वारा प्र.कं. 04/90–91/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 1.4.91 द्वारा वाद भूमि का आवेदकगण व अनावेदक कं. 2 ता 4 के पिता सरजू प्रसाद को भूमिस्वामी घोषित किया था। उक्त आदेश दिनांक 1.4.91 के विरूद्ध अनावेदक कं. 1 श्रीमती शारदा बाई द्वारा दिनाक 29.1.13 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गईं। विलंब माफी के लिये अवधि विधान की धारा–5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक व अनावेदक 2 ता 4 की ओर से अपील अवधि बाह्य होने संबंधी आपत्ति आवेदन पेश किया था आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने बिना अपने आदेश दिनांक 6.3.14 द्वारा विलंब माफ किया जाकर अपीलार्थी श्रीमती शारदा बाई द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी दिनांक से अंदर अवधि मान्य की जाती है तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर उसे सुने बिना एवं कोई निश्कर्ष दिये बिना अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– मैने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभयपक्ष के उपस्थित विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय

सागर के समक्ष आवेदक व अनावेदक 2 ता 4 के पिता सरजूप्रसाद ने इस आशय का आवेदन पेश किया था कि वादग्रस्तभूमियों पर उसका मौरूषी कृषक के रूप में नाम अंकित था विधि के अनुरूप उसे वाद भूमियों का आधिपत्य कृषक होने से उसे भूमिस्वामी स्वत्व उदभूतहो चुके हैं इस कारण उसे भूमिस्वामी घोषित किया जावे। उक्त आवेदन पर तहसील न्यायालय ने प्र.कं. 04/90–91/अ–6 दर्ज कर विधिवत प्रकिया अपनाकर अपने आदेश दिनांक 01.04.91 द्वारा सरजूप्रसाद को भूमिस्वामी घोषित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 1.4.91 की जानकारी अनावेदक कं. 1 श्रीमती शारदा बाई को एक अन्य राजस्व प्र.कं. 108/08–09 बी–121 में नायब तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.09.09 के आधार पर हो गई थी उक्त प्रकरण में आवेदक के पिता सरजू प्रसाद के हक में पारित किये गये आदेश दिनांक 1.4.91 के प्रकरण को तलब कराये जाने बावत सरजूप्रसाद ने आवेदन पत्र पेश किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदक के पिता सरजू प्रसाद के हक में पारित आदेश दिनांक 1.4.91 की जानकारी श्रीमती शारदा बाई को 22.9.09 को ही हो चुकी थी। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अवधि बाह्य होने संबंधी वैधानिक आपत्ति उठाई गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अमान्य करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि अपील 21 वर्ष विलंब से पेश कीगई थी जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य थी। विलंब आवेदन में दर्शाये गये आधार पर्याप्त एवं विधि संगत नहीं है। अतः आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक कं. 1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा अपील पेश की है जिसके साथ विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन पेश

किया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपील ग्राह्य कर धारा–5 आवेदन स्वीकार कर विलंब क्षमा किये जाने का आदेश पारित किया है अभी दोनों पक्ष की सुनवाई कर गुण दोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण लंबित है लेकिन आवेदक ने उसके पूर्व ही विलंब क्षमा किये जाने का पारित आदेश पत्रिका दिनांक 6.3.14 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगा लिया। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील अन्दर अवधि मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

अनावेदक कं. 2 ता 4 के अभिभाषक ने आवेदक अभिभाषक के तर्को पर सहमत होते हुये निगरानी का निराकरण किये जाने का निवेदन किया।

5– अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 1.4.91 के विरूद्ध अनावेदक कं. 1 श्रीमती शारदा बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.1.13 को अपील प्रस्तुत की गई है अर्थात 21 वर्ष विलंब से पेश की गई है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य है। अनावेदक श्रीमती शारदा बाई ने विलंब को माफ करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अवधि विधान तथा आवेदक प्रदीप व अन्य की ओर से अपील अवधि बाह्य होने संबंधी उठायी गयी आपत्ति पर उभयपक्ष की सुनवाई कर विधिवत निराकरण करना चाहिये था। रामभुवन वि. रामविशाल (2002 रा.नि. 254) में राजस्व मण्डल द्वारा यही व्यवस्था दीगई है कि –

"धारा 44(1) – समय वर्जित अपील–परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से विनिश्चित किया जाना चाहिये।"

विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाये। आवेदनकर्ता श्रीमती शारदा बाई ने स्वयं अवधि विधान के आवेदन पत्र की कंडिका–5 में दर्शाया है कि तहसीलदार सागर द्वारा प्र.कं. 04/90–91/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 1.4.91 की जानकारी अपीलार्थी श्रीमती शारदा बाई को सरजूप्रसाद द्वारा प्र.कं. 108/08–09 बी–121 में दिनांक 22.09.09 को सरजूप्रसाद कीओर से दिये गये आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त होने से हो गई थी उक्त आवेदन सरजू प्रसाद ने प्र.कं. 04/90–91/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 1.4.91 को तलब करने बावत दिया थां इस प्रकार अनावेदक श्रीमती शारदा बाई ने आदेश दिनांक 1.4.91 की दिनांक 22.9.09 को जानकारी होना स्वयं स्वीकार किया है। उसके पश्चातभी 3 वर्ष से अधिक समय पश्चात धारा–5 आवेदन में आदेश की जानकारी दिनांक 31.12.12 को हुई जिसके आधार पर नकल प्राप्त कर दिनांक 29.1.13 को उक्त अपील पेश की।

अनावेदक श्रीमती शारदा बाई को तहसील आदेश की जानकारी कैसे हुई आवेदन पत्र में इस बावत स्पष्ट कोई लेख नहीं किया इससे स्पष्ट है कि अनावेदक श्रीमती शारदा बाई को आदेश दिनांक 1.4.91 की जानकारी प्रारंभ से ही थी उसके बावजूद दिनांक 22.09.09 से जानकारी होना स्वयं स्वीकार किया है उसके बावजूद विलंब क्षमा किये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन में जो कथन लेख किये हैं वह मात्र अपील को अंदर म्याद ग्राह्य करने के आश्य से ही मनगढंत कहानी बनाकर आवेदन में लेख की है। जो विश्वसनीय मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय ने 1992 रा. नि. 289 में यह व्यवस्था दी है कि विलंब सदभावना पर आधारित होने व पर्याप्त कारण होने पर ही क्षमा किया जा सकता है। अनावेदक श्रीमती शारदा बाई द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 1.4.91 के विरूद्ध 21 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है और विलंब का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्यय होने से विलंबित अपील को सुनने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार ही नहीं था। ऐसी विलंबित अपील प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योगय नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी सागर का आदेश दिनांक 6.3.14 तथा उनके समक्ष लंबित अपील समयावधि बाह्यय होने से प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त/ समाप्त की जाती है। तहसीलदार सागर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 1.4.91 के पश्चात अनावेदक क्र. 1 श्रीमती शारदा बाई का राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गये नाम को काटा जाकर आदेश दिनांक 1.4.91 अनुसार आवेदकगण व अनावेदक क्र. 2 ता 4 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जावे।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर